तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
मैं हल्फ पूर्वक नाथूराम मीणा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। प्रहलाद मीणा के रतनलाल नाम का कोई पुत्र नहीं है। नाथूराम प्रहलाद राम मीणा के पुत्र है। 22/10/2021 (रामचन्द्र मीणा) पटवारी हल्का-डाबला	
23/05/22	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी पक्ष की ओर से गवाह सरवती देवी पत्नी नाथूराम मीणा निवासी लारवा की नांगल तथा संजय कुमार पुत्र नाथूराम जाति मीणा निवासी लारवा की नांगल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30.05.22 को पेश हो।

[illegible]

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते करते हुए कथन किया था कि लाखा की नांगल स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं० 703, 704, 712 की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम रतनलाल पुत्र प्रहलाद गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम नाथूराम पुत्र प्रहलाद है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार के पिता का नाम रतनलाल पुत्र प्रहलाद गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाह सरबती देवी पत्नी नाथूराम व संजय कुमार पुत्र नाथूराम जाति मीणा, निवासी लाखा की नांगल के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये। पटवारी हल्का डाबला रामचन्द्र मीणा जो ग्राम लाखा की नांगल का ही निवासी है के बयान करवाये कि मैं हरफूल पुत्र नाथूराम मीणा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, प्रहलादराम मीणा के रतनलाल नाम का कोई पुत्र नहीं है, नाथूराम प्रहलाद राम मीणा के पुत्र है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम रतनलाल पुत्र प्रहलाद गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थीगण के पिता के सही नाम नाथूराम पुत्र प्रहलाद की पुष्टि गवाह सरबती देवी पत्नी नाथूराम व संजय कुमार पुत्र नाथूराम जाति मीणा, निवासी लाखा की नांगल के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से तथा पटवारी हल्का डाबला रामचन्द्र मीणा के बयान से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी